

पंचायतों को अधिकार

प्रलिमिस के लिये:

पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs), 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992, ग्राम सभाएँ, पंचायत समितियाँ, ज़िला परिषदें, अनुच्छेद 243G, अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243-I।

मेन्स के लिये:

पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय सशक्तीकरण, राजकोषीय वर्किंग्रीकरण, अंतर-राज्यीय असमानताएँ, महला सवयं सहायता समूहों (SHG) की भूमिका

स्रोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक के एक कार्यपत्र, 'पंचायती राज संस्थाएँ' में परभावी स्थानीय शासन सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय राजकोषीय क्षमता को मजबूत करते हुए पंचायतों को विशेष अधिकार प्रदान करने का नियमित लिया गया है।

पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) क्या हैं?


- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
 - भारत में ग्राम शासन का इतिहास बहुत लंबा, विविधतापूर्ण और गतशील रहा है। **कौटलिय का अरथशास्त्र**, शासन पर लिखित एक ग्रन्थ है जो लगभग 200 ईसा पूर्व का है, इसमें शासन की एक वर्किंग्रीकृत प्रणाली का वर्णन किया गया है, जहाँ गाँवों पर गाँव के मुख्यों का शासन होता था, जिन्हें ग्रामकिं, ग्रामकूट या अध्यक्ष जैसे विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता था।
 - **ऋग्वेद**, एक वैदिक ग्रन्थ है जोकि 3,000 वर्ष से अधिक पुराना है, यह तीन प्रकार के संस्थानों अरथात् वधिकार, सभा और समिति को संदर्भित करता है, जो सभी वयस्कों की सभाएँ थीं जो अपने विचारों को आवाज़ देने तथा नियमित लेने में भाग लेने के लिये एकत्रित होती हैं।
- PRI पर गांधीवादी और आंबेडकरवादी विचार:
 - **डॉ. बी. आर. आंबेडकर** ने भारतीय संविधान सभा में पंचायती राज के वरिद्ध प्रसिद्ध तरक्क दिया। उनका कहना था कि गाँव कुछ भी नहीं हैं, बल्कि स्थानीयता का एक सक्ति, अज्ञानता, संकीर्ण मानसिकता और सांप्रदायिकता का केंद्र हैं।
 - हालाँकि, **गांधी** के लिये गाँव ही स्वतंत्र भारत के उनके विचार का आधार थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की थी कि "भारत अपने शहरों में नहीं बल्कि इसके 700,000 गाँवों में बसता है।"
 - गांधी ने तीन प्रमुख सदिधांतों अरथात् आत्मनिर्भरता एवं मतिव्ययता, विचारशील और प्रतिनिधिलोकतंत्र तथा सामुदायिक भावना के इर्द-गिर्द केंद्रित एक गाँव जीवन की कल्पना की।
- स्वतंत्रता के बाद:
 - गाँवों के नेतृत्व वाले स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत के गांधीवादी विचार को स्वतंत्रता के बाद के भारत के प्रमुख नियमाताओं ने अस्वीकार कर दिया था।
 - डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा को पंचायती राज संस्थाओं को **नियंत्रक सदिधांतों** में गैर-अनविार्य दशा-नियंत्रणों के रूप में शामिल करने के लिये राजी किया, जिसमें क्षेत्रीय सरकारों द्वारा उनके नियमाण का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी।
 - **73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992** के पारत होने के साथ ही पंचायतों को औपचारिक शक्तिका हस्तांतरण शुरू हुआ।
- 73वाँ संवेधानकि संशोधन अधिनियम, 1992:
 - **73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992** ने पंचायती राज संस्थाओं को संवेधानकि दरजा दिया और एक समान संरचना, चुनाव, **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति** एवं महलियों के लिये सीटों का आरक्षण व पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिये व्यवस्था स्थापित की।
 - संशोधन ने राज्यों में स्थानीय सरकार की तीन स्तरीय प्रणाली को अनविार्य बना दिया, जिसमें गाँव (ग्राम पंचायत), मध्यवर्ती (बलौक)

पंचायत) और ज़िला (ज़िला पंचायत) स्तर शामिल हैं।

० प्रावधान:

- भारत के संविधान का **अनुच्छेद 243G** राज्य विधानसभाओं के लिये पंचायतों को सर-शासी संस्थानों के रूप में कार्य करने का अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है।
- पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243H और अनुच्छेद 243-I में प्रावधान किये गए हैं।
- अनुच्छेद 243H, राज्य विधानमंडलों को करों, शुल्कों एवं टोल के संग्रहण के संदर्भ में पंचायतों को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 243-I में राजस्पाल** द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में **राज्य वित्त आयोग** के गठन का प्रावधान शामिल है।
- पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसका गठन मई 2004 में हुआ था।

Statewise 15th Finance Commission Transfers to per Gram Panchayat, FY2022-2023



संबंधित पहल:

- SVAMITVA योजना:** प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वामी को संपत्ति के 'स्वामतिव का रकिंस्टड' प्रदान कर ग्रामीण भारत की आरथिक प्रगति को सक्षम करने के लिये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (2020) के अवसर पर ग्रामों का सर्वेक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas- SVAMITVA) योजना, अर्थात् SVAMITVA योजना की शुरुआत की गई।
- ई-ग्राम स्वराज ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली:** ई-ग्राम स्वराज, पंचायती राज संस्थाओं के लिये एक सरलीकृत कार्य आधारति लेखांकन ऐप (Simplified Work Based Accounting Application) है।
- प्रसिंप्टतयों की जयो-टैगगिं:** पंचायती राज मंत्रालय ने 'mActionSoft' विकासित किया है, जो उन कार्यों के लिये जयो-टैग (Geo-Tags, i.e. GPS Coordinates) के साथ फोटो खींचने में सहायता करने के लिये एक मोबाइल-बेस्ड उपागम है, जिसमें आउटपुट के रूप में प्रसिंप्टता प्राप्त होती है।
- स्टीज़न चार्टर:** सेवाओं के मानकों के संबंध में अपने नागरिकों के प्रतिक्रियाओं की प्रतिबिद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये पंचायती राज मंत्रालय ने 'मेरी पंचायत मेरा अधिकार - जन सेवाएँ हमारे द्वार' के नारे के साथ स्टीज़न चार्टर दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिये एक मंच प्रदान किया है।

पंचायतों के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ:

- **राजकोषीय विकेंद्रीकरण:** सरकार के उच्च स्तर द्वारा पंचायतों को वित्तीय शक्तियों और कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण, स्वतंत्र रूप से सासाधन जुटाने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है।
 - सीमति राजकोषीय विकेंद्रीकरण स्थानीय शासन तथा सामुदायिक सशक्तीकरण को कमज़ोर बनाता है।
- **राजस्व संग्रहण की सीमति क्षमता और उपयोग:** PRI के पास शुल्क एवं टोल आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से राजस्व एकत्र करने की सीमति क्षमता, इस दिशा में एक अन्य समस्या मानी जा सकती है।
 - अव्यवस्थित नियोजन, अनुवीक्षण और जवाबदेही तंत्र के कारण इन्हें धन के कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी प्रयोग को लेकर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **टॉप-डाउन एप्रोच:** बाहरी स्रोतों से वित्तीयन पर नियंत्रण के कारण पंचायती राज संस्थाओं में सरकार के उच्च स्तरों का हस्तक्षेप अधिक होता है।
- **वित्तपोषण में वलिंग:** कुछ क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख योजनाओं को प्रयाप्त धन न मिलने के कारण इनकी प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
 - मार्च, 2023 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समति के अनुसार 34 में से 19 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तप्रधान 2023 में [राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना](#) के तहत कोई धनराशी प्राप्त नहीं हुई।

पंचायती राज संस्थाओं के वित्त की वर्तमान स्थिति:

- भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की वित्तीय गतिशीलता पर [भारतीय रजिस्टर बैंक \(RBI\)](#) की रपोर्ट:
- **राजस्व के स्रोत:** पंचायतों करों के माध्यम से राजस्व का केवल 1% अर्जति करती है।
 - इनके राजस्व में अधिकांश हस्सेदारी केंद्र एवं राज्यों द्वारा दिये गए अनुदान की होती है।
 - आँकड़ों से पता चलता है कि कुल राजस्व में 80% हस्सेदारी केंद्र सरकार की तथा 15% राज्य सरकार की होती है।
- **राजस्व प्रतिपंचायत:** औसतन प्रतियोग पंचायत द्वारा अपने स्वयं के कर राजस्व सेवेल **21,000** रुपए तथा गैर-कर राजस्व से **73,000** रुपए अर्जति करते हैं।
 - इसके विपरीत केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्रतिपंचायत लगभग **17 लाख** रुपए जबकि राज्य सरकार का अनुदान प्रतिपंचायत **3.25 लाख** रुपए है।
- **राज्य के राजस्व में हस्सेदारी और अंतर-राज्य असमानताएँ:** पंचायतों की हस्सेदारी अपने राज्य के राजस्व में न्यूनतम बनी हुई है। विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिपंचायत अर्जति औसत राजस्व में व्यापक भान्नताएँ हैं।
 - केरल और पश्चिम बंगाल क्रमशः 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए प्रतिपंचायत के औसत राजस्व के साथ सबसे आगे हैं। जबकि अंध्र प्रदेश, हरियाणा, मजिरम, पंजाब और उत्तराखण्ड जैसे राज्यों में औसत राजस्व काफी कम है, जो प्रतिपंचायत 6 लाख रुपए से भी कम है।

PRI के सुदृढ़ीकरण के लिये क्या कदम आवश्यक हैं?

- **विकेंद्रीकरण के स्तरों का पुनर्मूल्यांकन:** तीन महत्त्वपूर्ण 'F' अरथात् कार्य, वित्त और कार्यकरता (Functions, Finance, and Functionaries) पर अधिक ध्यान देने के साथ पंचायतों की शक्तियों कम करने के स्थान पर उन्हें अधिक अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के लिये [सोशल स्टॉक एक्सचेंज](#) का उपयोग करने जा सकता है।
 - इसके अतिरिक्त उन्हें वित्त संबंधी नियंत्रण लेने के अधिक अधिकार प्रदान करने से उच्च-स्तर के नौकरशाहों का कार्य का भार कम होगा।
- **वार्ड सदस्यों का सशक्तीकरण:** वार्ड सदस्यों (WM) के पास वित्तीय संसाधनों की कमी होती है और वे प्रायः केवल नियंत्रणों का समर्थन करते हैं किंतु वे ग्राम पंचायत प्रमुखों की देखरेख में अहम भूमिका नभी सकते हैं।
 - निधि प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने से पंचायत की प्रभावशीलता बढ़ सकती है क्योंकि लघु राजनीतिक इकाइयों से बेहतर विकास होता है।
- **ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण:** ग्राम के प्रभावी शासन में ग्राम सभाओं की भूमिका केंद्रीय होती है। उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये, उन्हें अधिक से अधिक बार आयोजित करने और उनकी शक्तियों का विस्तार करने की अनुशंसा की जाती है जिससे ग्राम का नियोजन तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिये लाभार्थियों के चयन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों को सुलभ करिया जा सके।
- **प्रशासनिक डेटा की गुणवत्ता में सुधार:** प्रशासनिक डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है और इसे सरल प्रारूप में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करिया जाना चाहिये। वजिउलाइज़ेशन और इंटरैक्टिव डेशबोर्ड सभी समुदाय के सदस्यों द्वारा डेटा को समझने और उसका विश्लेषण करने को सुविधाजनक बना सकते हैं।
- **प्रदर्शन प्रोत्साहन और जवाबदेहता:** पंचायत के प्रदर्शन को स्कोर करने के लिये एक स्वतंत्र और विश्वसनीय प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये। प्रदर्शन के आधार पर पंचायत के नियंत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने से कार्यों के प्रतिउनकी जवाबदेहता में सुधार हो सकता है।
- **शक्तियत नियांत्रण प्रणाली:** पंचायतों को उत्तरदायी बनाए रखने के लिये औपचारिक और प्रभावी शक्तियत नियांत्रण प्रणाली स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है। इससे सभी नागरिक उच्च अधिकारियों को अपनी समस्याओं की रपोर्ट करने में सक्षम हो सकते हैं।
- **महलिया सुवय सहायता समूहों (SHG) का एकीकरण:** SHG को पंचायतों के साथ एकीकृत करना ग्राम के शासन को बेहतर बनाने और महलियों के हतों के अनुरूप नियंत्रण लेने में संतुलन बनाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जाता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को सुदृढ़ करने की रणनीतियों पर चर्चा कीजिये।

और पढ़ें: [पंचायती राज संस्थान \(PRI\)](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है (2017)

- (a) संघवाद का
- (b) लोकतांत्रकि वकिंद्रीकरण का
- (c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)

प्रश्न. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? (2015)

1. विकास में जन-भागीदारी
2. राजनीतिक जवाबदेही
3. लोकतांत्रकि वकिंद्रीकरण
4. वित्तीय संग्रहण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न:

प्रश्न. आपकी राय में भारत में शक्तिके वकिंद्रीकरण ने ज़मीनी-स्तर पर शासन परदिश्य को कसि सीमा तक परविरत्ति किया है? (2022)

प्रश्न. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और कनि स्रोतों को खोज सकती हैं? (2018)

प्रश्न. सुशक्तिओं और व्यवस्थिति स्थानीय स्तर पर शासन-व्यवस्था की अनुपस्थितिमें 'पंचायतें' और 'समतियाँ' मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएँ बनी रही हैं न कशीसन के प्रभावी उपकरण। समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिये। (2015)